

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक:— प० 1(5)मं.मं./2016

जयपुर, दिनांक: 5/12/2016

—:: परिपत्र ::—

राजस्थान विधानसभा का आगामी सत्र (बजट सत्र) माह फरवरी, 2017 में आरम्भ होने की संभावना है, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण पढ़ा जावेगा। इस अभिभाषण में यथा संभव राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 की महत्वपूर्ण उपलब्धियों एवं नीतिगत निर्णयों का संक्षेप में विवरण होगा। इसके अतिरिक्त आगामी वित्तीय वर्ष में जिन योजनाओं एवं कार्यक्रमों को आरम्भ किया जावेगा उनका भी संक्षिप्त विवरण होगा।


अतः कृपया माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सम्मिलित करने हेतु आपके विभाग से संबंधित सामग्री सरल हिन्दी भाषा में संकलित कर तीन—तीन प्रतियों में मय साफ्ट कॉपी के निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए, मंत्रिमण्डल सचिवालय को दिनांक 31.12.2016 तक आवश्यक रूप से प्रेषित कराने का श्रम करें:—

1. समरत अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विशिष्ट शासन सचिव अपने अधीन विभागाध्यक्षों को यह निर्देश दें कि वे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सम्मिलित किये जाने योग्य सामग्री तत्काल प्रशासनिक विभाग को भिजवा दें।
2. विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर प्रशासनिक सचिवों को भेजी जाने वाली उस महत्वपूर्ण सूचना का ही संकलन करें, जिसका अभिभाषण में सम्मिलित किया जाना चाहिये हो और जो विभाग की उपलब्धियों/भावी कार्यक्रमों पर प्रकाश डालती हो।
3. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विशिष्ट शासन सचिव अपने स्तर पर केवल उतनी ही सामग्री का अभिभाषण के लिये चयन करें, जिसका अभिभाषण में सम्मिलित किया जाना परमावश्यक हो। यथा संभव संकलित सामग्री 10 लाईन तथा एक पृष्ठ से अधिक ना हो, ताकि उसको अधिक संक्षिप्त करने में मंत्रिमण्डल सचिवालय को अधिक काट-छांट नहीं करनी पड़े।
4. राज्यपाल अभिभाषण के लिये भेजी जाने वाली सामग्री में जहां कहीं भी उपलब्धियों अथवा धनराशि से संबंधी आंकड़े दिये जावें, वे शब्दों में अंकित किये जावें।
5. भेजी जाने वाली सामग्री पर संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव रख्य के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर हों।

५

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें एवं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सम्मिलित की जाने वाली विषय सामग्री सरल हिन्दी भाषा में दिनांक 31.12.2016 तक मय सॉफ्ट कॉर्पो मंत्रिमण्डल सचिवालय को निश्चित रूप से प्रेषित की जावें। राज्यपाल अभिभाषण—2017 तैयार किये जाने से संबंधित मुख्य बिन्दु संलग्न हैं।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।


 (पवन कुमार गोयल)
 प्रमुख शासन सचिव

1. अतिरिक्त मुख्य सचिवगण।
2. समर्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
3. समर्त विभागाध्यक्ष।
4. सचिवालय के समर्त विभाग/अनुभाग एवं प्रकोष्ठ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, राजकौम्प्य, राजस्थान, जयपुर को मंत्रिमण्डल सचिवालय की वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 (श्रीराम मोदी)
 अनुभागाधिकारी

राज्यपाल अभिभाषण—2017 तैयार किये जाने से संबंधित मुख्य बिन्दु

क्र.सं.	सूचना का विवरण
1.	विभाग द्वारा अर्जित प्रमुख उपलब्धियाँ
2.	विभाग को राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर प्राप्त पुरस्कार/प्रशंसा पत्र
3.	नवीन योजनाएं/नीतियाँ/नवाचारों का विवरण
4.	नियुक्तियाँ/रोजगार का विवरण (दिए गए रोजगार एवं प्रक्रियाधीन रोजगार को पृथक—पृथक दर्शाया जाए)
5.	जिन योजनाओं में भुगतान की ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई है उनका विवरण एवं ऑनलाइन किए गए भुगतान का विवरण
6.	उपरोक्त सूचनाओं के अलावा ऐसी सूचनाएं जो विभाग माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण में सम्मिलित कराया जाना आवश्यक एवं उचित मानते हैं।
7.	विभाग द्वारा सम्पन्न कराये गये विशेष अभियान यथा सरकार आपके द्वार, न्याय आपके द्वार इत्यादि
8.	विकास/उपलब्धि के आंकड़े दिनांक 31.12.2016 तक के होने चाहिये।